

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक
सेवा में,

805 / 14-10-4

दिनांक, हरदोई, 01-09, 2017।

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित वन भूमि 0.075051 हे० भूमि पर गैर वानिकी कार्य व शून्य बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्राप्त प्रस्ताव का प्रेषण।

महोदय,

निवेदन है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा शाहजहाँपुर-हरदोई-लखनऊ मार्ग (राजमार्ग सं०-25) कि०मी० 177-178 के मध्य बांयी पटरी स्थित ग्राम-बल्लीपुर परगना बंगर तहसील हरदोई में प्रस्तावित है। पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.075051 हे० भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य व शून्य बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्राप्त प्रस्ताव को संलग्नक सहित (04 प्रतियों में) आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-प्रस्ताव, सी०डी० सहित।

भवदीय

(राकेश चन्द्रा)

प्रभागीय निदेशक

सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।

पत्रांक

805

/ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:-टैरीटरी मैनेजर (रिटेल), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-श्री अभिमन्यु कुमार सिंह पुत्र श्री राजकुमार सिंह (अधिकृत पेट्रोल पम्प डीलर) नि०-ग्राम बल्लीपुर बम्हनाखेड़ा जिला-हरदोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश चन्द्रा)

प्रभागीय निदेशक

सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।

O/c